राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ 165 ( )परावि/ले.ब./15thFC/2020-21/1111 जयपुर, दिनांकः–10.07.2020

16 JUL 2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद – समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति – समस्त॥

विषयः– पन्द्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

पन्द्रहवें वित्त आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट में पंचाट अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की सिफारिशों के कार्यान्वयन एवं परिचालन हेतु वित्त मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

अनुदान हस्तान्तरण का आधारः–

पन्द्रहवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 50% मूल अनुदान (Basic Grants-Untied Fund) और शेष 50% बन्ध–अनुदान (TIED GRANTS) के रूप में होगा। ये अनुदान सभी पंचायती राज संस्थाओं को चरणबद्ध रूप से वितरण और विस्तृत कार्यप्रणाली अनुसार जारी किया जाना एवं उपयोग किया जाना है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट अनुसंशित अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई नवीनतम कार्यवाही विवरण (ATR) के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत) में राशि का वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुदान के प्रकार :–

1. **मूल अनुदान (Basic Grants-Untied Fund):–** मूल अनुदान खुले हुए (UNTIED) है और जिनका उपयोग वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं) की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा।
2. **बंध–अनुदान (Tied Grants):–** पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिशानुसार और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग) द्वारा जारी बन्ध–अनुदान का 50% आवंटन दो किश्तों में किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग,

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार और पंचायती राज मंत्रालय अनुदान जारी करने की सिफारिश करने से पहले निम्नलिखित का आकलन करेंगे :–

(A) स्थानीय निकायों की खुले में शौच मुक्त स्थिति और रखरखाव।

(B) पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

(C) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि के उपयोग का विवरण और जीपीडीपी अपलोड करना ।

(D) कोई अन्य शर्त जो जल मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुदान के घोषित उद्देश्यों के संबंध में उपयुक्त हो सकती है। (वर्ष 2021–22 के लिए पात्रता का आकलन वर्ष 2020–21 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर उसी वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए अपनाया जाएगा।)

पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) को देय मूल अनुदान (UNTIED GRANT) एवं बंध–अनुदान (Tied Grants) के उपयोग हेतु जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश परिशिष्ट– I, II एवं III पर संलग्न है:–

परिशिष्ट– I

पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त मूल अनुदान (UNTIED GRANT) है, का उपयोग निम्नलिखित स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा :–

1. ग्राम पंचायत भवन जैसी विशिष्ट सामुदायिक सम्पति के निर्माण के अतिरिक्त, अन्य सार्वजनिक भवनों/परिसम्पतियों की मरम्मत और रखरखाव किया जा सकेगा। उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उपलब्ध कुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवाएं ही उपयोग में लिया जाना अनिवार्य होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल आधार (कुशल/अकुशल) पर व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सके और ग्राम पंचायतों के सामुदायिक बुनियादी ढ़ाचें को मजबूती प्रदान की जा सके। इन कार्यों को अविलम्ब शुरू करने और चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के भीतर ही एक मिशन मोड में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मान्य होगा।
2. ग्राम पंचायत भवन के लिए अधिकतम अनुमोदित राशि रू. 20.00 लाख तय की गई है। जिसमें पंचायत भवन की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त आयोग के माध्यम से और 50 प्रतिशत महात्मा गांधी नरेगा फण्ड से उपलब्ध कराया जावेगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सर्वप्रथम पंचायत भवन की लागत के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत के पास 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष राशि का उपयोग किया जायेगा, यदि राशि पर्याप्त नही है, तो शेष राशि पन्द्रहवें वित्त आयोग से, या राज्य वित्त आयोग से, या निजी आय के तहत् उपलब्ध राशि में से किया जावेगा।

3. मूल अनुदान में से ग्राम पंचायत में आवश्यकता पडने पर अन्य सार्वजनिक भवनों/परिसंपतियां जैसे:= प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उप केन्द्र, सहकारी बीज एवं उर्वरक भण्डार केन्द्र, की मरम्मत एवं रख–रखाव किया जा सकेगा।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में पार्कों एवं मैदानों का रखरखाव।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों, कब्रिस्तान एवं शमशानों का रखरखाव।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट एवं प्रकाश व्यवस्था।
8. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर फसल बिक्री केन्द्र तथा फसल भण्डारण केन्द्र का निर्माण।

<u>बंध–अनुदान (TIED GRANTS):–</u>

इसका उपयोग स्थानीय निकाय जहां तक संभव हो, इन बंध–अनुदान का आधा (½) हिस्सा इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए उपलब्ध कराएगा (अ) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) की स्थिति और रखरखाव (ब) पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अगर किसी भी स्थानीय निकाय ने उक्त (अ) व (ब) में से कोई एक श्रेणी की जरूरतों को पूर्ण कर लिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए राशि का उपयोग कर सकेगी।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त बंध–अनुदान (Tied Grants) का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के लिए पीने के पानी एवं स्वच्छता बिन्दु के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है परिशिष्ट–।। एवं परिशिष्ट–III का विवरण निम्नानुसार है:–

बंध–अनुदान

परिशिष्ट– II

पेयजल सम्बन्धी गतिविधियां	
नियमित रूप से पीने योग्य पानी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर का न्यूनतम सेवा स्तर प्रदान करने के लिए जलापूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए उदाहारणात्मक गतिविधियां (लेकिन सम्पूर्ण नही) निम्न है:–	
क्र.सं.	विवरण
1.	पीने के पानी के मौजूदा जल स्त्रौतों का विस्तार बोरवेल रिचार्ज, वर्षा जल संचयन अर्थात चैकडेम, जल निकायों का पुर्नस्थापन, वॉटरशेड और स्प्रिंग्सशेड प्रबन्धन आदि।
2.	पंचायती राज संस्थाओं के अधीन स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि जैसे संस्थानों में पानी उपलब्ध कराना।
3.	सम्पूर्ण डिजाईन अवधि के लिए सेवा प्रदाय में सुधार के लिए मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं/प्रणालियों का पुनः निर्धारण ।
4.	आस–पास की सतह के स्त्रौत से पानी लाना, बोरवेल, पेयजल हेतु ग्रामीण वितरण प्रणाली (इन विलेज डिस्ट्रब्यूशन नेटवर्क) ऑवरहेड टैंक (ईएसआर), नाबदान (Sump), छोटे घरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कपड़े धोने और स्नान करने के स्थान एवं एवं मवेशी नांद आदि की व्यवस्था करना।
5.	धूसर (रसोई घर एवं स्नानागार से बहने वाला अपशिष्ट जल) जल का निदान करना और उसका पुनः उपयोग यथा तालाब के स्थिरीकरण एवं उससे सम्बन्धित बुनियादी ढांचा निर्माण।
6.	पेयजल आपूर्ति को संचालन एवं रखरखाव और धूसर (रसोई घर एवं स्नानागार से बहने वाला अपशिष्ट जल) जल के प्रबन्धन प्रणालियों का संचालन एवं रखरखाव।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बंध–अनुदान

परिशिष्ट– III

क.सं.	स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियां
1.	स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से बनाई गई सभी सामुदायिक परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव यथा सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता परिसर, धूसर जल के प्रबंधन प्रणाली, गो–बर्धन परियोजनाएँ, मल कीचड़ प्रबंधन परियोजनाएँ, सोखता गड्ढों का, खाद के गड्ढों आदि का निर्माण।
2.	घरों से कचरे का संग्रह कर ग्रामीण स्तर के निरूपण स्थल तक परिवहन करना और खाद केन्द्र के प्रबंधन।
3.	स्वच्छ भारत मिशन के चरण–2 के दिशा–निर्देशों के मापदण्डों के अनुसार सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता परिसर का निर्माण ।
4.	स्वच्छ भारत मिशन के चरण–2 के दिशा–निर्देशों के मापदण्डों के अनुसार सामुदायिक खाद गडढों, सोखता गड्ढों/धूसर जल का प्रबंधन प्रणाली का निर्माण।
5.	स्वच्छ भारत मिशन के चरण–2 के दिशा–निर्देशों के मापदण्डों के अनुसार ग्राम भण्डारण से प्लास्टिक कचरे का पंचायत समिति स्तर की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ईकाई तक परिवहन करना।
6.	सामुदायिक स्थलों पर शौचालय समूह (पुरूष एवं महिला पृथक–पृथक) का पुनः निर्माण।
7.	जल निकासी चैनलों का निर्माण।
8.	अपशिष्ट प्रबंधन परिसर की सफाई के लिए उपकरण और श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण जिनमें मास्क/गमबूट आदि सम्मिलित हो।
9.	सार्वजनिक स्थानों पर पृथक–पृथक रूप से कचरा संग्रहण के लिए गीले और सूखे कचरे के लिए दो ढिब्बा प्रणाली का प्रबंधन ।
10.	मासिक आधार पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कचरा संग्रहण केन्द्र का निर्माण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बॉर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बॉर्ड के तहत मापदण्डों के अनुसार किया जावें।
11.	ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की नवीन एवं नवीनीकरण राष्ट्रीकृत बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम के तहत् मानदण्डों के अनुसार गो–बर्धन परियोजना के तहत (प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कम से कम 10) नये बायो–गैस प्लांट का निर्माण एवं प्रबंधन और जैविक खाद प्लांट का निर्माण एवं प्रबंधन।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

लेखों का संधारण :–

पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के लेखों का संधारण PRIASoft-PFMS Interface (PPI) पोर्टल, ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यो की स्वीकृति एवं सम्पादन संबंधी व्यवस्था :–

योजनांतर्गत कार्यो का संपादन विभाग में वर्तमान में प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका में अंकित प्रावधानों एवं प्रकिया के अनुरूप तथा आर.टी.पी.पी.एक्ट–2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम–2013 के प्रावधानुसार ही किया जायेगा।

राशि के समायोजन के सम्बन्ध में:–

1. पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) को पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के हस्तांतरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के भाग–1 के अध्याय–17 के नियम 284 से 286 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार संलग्न निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–4) के अनुरूप तैयार कर प्रेषित किया जावेगा।
2. पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का उपयोग इन दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र संबंधित पंचायत समिति में प्रेषित किया जावेगा साथ ही पंचायत समिति द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित जिला परिषदों में प्रेषित किया जाएगा। जिला परिषदों द्वारा अधीनस्थ पंचायती राज संस्थाओं के समस्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–4) में संकलित कर अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट), पंचायती राज मुख्यालय को हार्डमय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.sep@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों से प्राप्त करने और जिला परिषद को प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त रूप से विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय एवं सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता संबंधित पंचायत समिति उत्तरदायी होंगे।
4. ग्राम पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन संबंधित पंचायत समिति स्तर पर किया जाएगा, साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संयुक्त रूप से विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय एवं सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता अधिकृत होंगे।
5. पंचायत समिति स्तर एवं जिला परिषद स्तर के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संयुक्त रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी तथा अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता अधिकृत होंगे।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के 07 दिवस के भीतर अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग मुख्यालय को हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.sep@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाने होंगे।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

7. पन्द्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं प्रदत्त अनुदान राशि की मासिक वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति एवं समग्र उपयोगिता संबंधी सूचनाऐं संलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–5 के अनुसार प्रतिमाह 05 तारीख तक संयुक्त निदेशक(मॉनिटरिंग अनुभाग), पंचायती राज मुख्यालय को हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.jdm@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करेंगे।
8. ये दिशा निर्देश प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 272000208 दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

संलग्नः– परिशिष्ट– 4 एवं 5

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः– एफ 165 ( )परावि/ले.ब./15thFC/2020-21/1111 जयपुर, दिनांकः–10.07.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 16 JUL 2020

1 विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पंरावि।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंरावि।
3 निजी सहायक, प्रधान महालेखाकार(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, लेखापरीक्षा), राज. जयपुर।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग।
5 संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
6 संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
7 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन ज्योति नगर, जयपुर।
8 अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट) मुख्यालय,पंचायती राज विभाग।
9 संयुक्त निदेशक(मॉनिटरिंग अनुभाग), पंचायती राज विभाग।
10 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति –समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की प्रति आपकी अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करते हुए पन्द्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावे।
12 समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
13 रक्षित पत्रावली।

(हरि सिंह मीणा)
वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–4

कार्यालय जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत.....के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र..... वित्तीय वर्ष .....बजट शीर्ष.....

आदेश/ स्वीकृति का विवरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/वित्त विभाग की संख्या एवं तारीख	
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश संख्या एवं दिनांक	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि उनकी स्वीकृति के संदर्भ सहित

1. प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिये गये आदेश संख्या के जरिये जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के पक्ष में बजट शीर्ष..... के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्वीकृत की गई सहायता अनुदान की राशि रू..... तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के अव्ययित शेष की राशि .....रू. में से रू.....की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गया है। जिसके लिए वह प्रदान की गई थी तथा यह कि जिन शर्तों पर यह स्वीकार किया गया था वे पूरी कर ली गई है एवं यह कि रू.....की अव्ययित अनुदान राशि को अगले वित्तीय वर्ष .....में इसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाएगा या विभाग के निर्देश/अनुदेशों के अनुसार 30 जून 2021 ..... तक अनुपयोजित अनुदान की राशि रू.....को बजट शीर्ष..... के अधीन ट्रेजरी चालान संख्या ..... दिनांक..... द्वारा समर्पित कर दिया गया है/जमा करा दिया गया है।

विकास अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इससे अपना समाधान कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था। उन्हें विधिवत पूरा कर लिया गया है तथा अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गया है। जिसके लिए उसे स्वीकार किया गया था।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पारिशिष्ट–5

Panchayati Raj Department
Fifteenth Finance Commission
Financial Progress for the FY 2020-21 up to the Month of .....

Funding Pattern
Centre State
100 0

Name of District:

(Rs. in Lacs)

S. No.	Institutions	Balance as on 01.04.20..	Allocation	Release	Other Reciepts	Total available Funds (3+5+6)	Exp. up to the last month	Exp. during the month	Total Exp.	% of Exp. against available Funds	Target to be achieved	% of achie. to Target	Exp. under SCSP	Exp. under TSP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	All Gram Panchayat(75%)													
2	All Panchayat Samiti's (20%)													
3	Zila Parisad's (5%)													
	Grand Total													

Fifteenth Finance Commission
Physical Progress for the FY ..... up to the Month of .....

S. No.	Institutions	Incomplete work of Previous FY							Current FY works									Progress under SCSP		Progress under TSP	
		Incomplete work of Pre. FY (01.04.20...) and work not start	Completed up to last month	Completed during month	Total completed	Balance of incomplete Works	work not strated	Cancelled	Total Approved Work	Work Sanctioned (FS)	Completed up to last month	Completed during current month	Total completed	% of completed works against sanctioned works (FS)	Work under progress	work not strated	Cancelled	Total Sanctioned Work	Total completed	Total Sanctioned Work	Total completed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	All Gram Panchayat(100 %)																				
2	All Panchayat Samiti's (20%)																				
3	Zila Parisad's (5%)																				
	Total																				

Fifteenth Finance Commission
Outstanding Utilization Certificate

(Rs. in Lacs)

S. No.	Institutions	Pending UC of last year		Released during the CFY		Total		Adjustment till last month		Adjustment in current month		Total Adjustment		Pending UC	
		No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	All Gram Panchayat(100 %)														
2	All Panchayat Samiti's (20%)														
3	Zila Parisad's (5%)														
	Total														

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner